संख्या 14/2016 /796/सत्रह-म-2016 ।।- 1(4)/ 2007

प्रेषक

नीलम अहलावत

सचिव

उ0प्र0 शासन ।

सेवा में

निदेशक मत्स्य

उ0प्र0 लखनऊ ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 16 मई 2016

विषय - मोबाइल फिश पार्लर योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधान के सापेक्ष्य वित्तीय स्वीकृति निर्गत् करने के सम्बंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 216 /नि0शा0/ 2016-17 दिनांक 26 अप्रैल 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016 -17 के आय- व्ययक में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत मोबाइल फिश पार्लर योजना हेतु रू0 1650 हजार का प्राविधान है ।

अत:उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में से जनपद लखनऊ के एक फिश पार्लर को समाप्त कर उक्त फिश पार्लर को जनपद पीलीभीत को आवंटित करते हुए 10 जनपदों के लिए रू0 1650 हजार मात्र की धनराशि (रू0 सोलह लाख पचार हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें है।

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	जनपद	भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	इकाई लागत	इकाई लागत का 30प्रतिशत अनुमन्य अनुदान	वित्तीय स्वीकृति की धनराशि
1	मऊ	1	5.50	1.65	1.65
2	फतेहपुर	1	5.50	1.65	1.65
3	गोरखपुर	1	5.50	1.65	1.65
4	बिजनौर (अ0सं0)	1	5.50	1.65	1.65
5	सुल्तानपुर	1	5.50	1.65	1.65
6	लखनऊ	1	5.50	1.65	1.65
7	सम्भल	1	5.50	1.65	1.65
8	हरदोई	1	5.50	1.65	1.65
9	बरेली (पि0जा0)	1	5.50	1.65	1.65
10	पीलीभीत (अ0सं0)	1	5.50	1.65	1.65
	योग	10			16.50

(कुल रू0 सोलह लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

1- उपरोक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोग पूर्व में निर्धारित नियमों/ शर्तो के अधीन योजना का क्रियान्वयन निदेशक मत्स्य उ0प्र0 लखनऊ की कार्ययोजना के अनुसार किया जायेगा । निदेशक मत्स्य द्वारा मण्डल स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाने की कार्यवाही की जायेगी ।

2- यह योजना निजी क्षेत्र में चयनित पात्र लाभार्थियों के 30 प्रतिशत शासकीय अनुदान और 70 प्रतिशत बैंक ऋण द्वारा शहरी क्षेत्र में क्रियान्वित की जायेगी । लाभार्थियों की सूची एवं बैंक खाते की पूर्ण सूचना शासन को देनी होगी । उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा ।

3- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को इसी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण करने से पूर्व जहॉ पर उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी को स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो व्यय करने के पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

4- उपरोक्त होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या- 17 लेखाशीर्षक -2405- मछली पालन, आयोजनागत-101- अर्न्तदेशीय मछली पालन 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम 0404- मोबाइल फिश पार्लर योजना 27- सब्सिडी के नामें डाला जायेगा ।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग – 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या – 1/2016/बी -1-746 /दस – 2016- 231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहें है।

भवदीय

(नीलम अहलावत)
सचिव

संख्या 14/ 2016 /796(1)/सत्रह-म-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्सय निदेशालय ।
5- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 /वित्त (आय-व्ययक) अनु0 -1 /नियोजन अनु0-3
6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com